राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

क्रमांकःसंआउ/न्याय/2024/उदयपुर/ 2708 दिनांक 17/08/2024

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के पत्रांक न्याय/का.व्य./2024/5899 दिनांक 17.08.2024 एवं जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के पत्रांक उदय–गुप्त/2024/826 दिनांक 17.08.2024 द्वारा शहर उदयपुर में दिनांक 16.08.2024 को सूरजपोल थाना क्षेत्र में घटित घटना को लेकर कानुन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, अतः साम्प्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुये **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163** के तहत उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु **सम्पूर्ण उदयपुर शहर, बेदला, बडगांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली, भुवाणा** में **आज दिनांक 17.08.2024 को सांय 10.00 बजे** से 24 घण्टे तक लोकसुरक्षा (Public Safety) एवं लोकआपात (Public Emergency) के तहत इन्टरनेट सेवाएं (लीज लाईन को छोडते हुए) बन्द करने की सिफारिश की हैं।

प्रमुख शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.35(4)गृह–9/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 23.11.2021 अनुसार तथा जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुसार आपराधिक घटना की संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा लोकसुरक्षा (Public Safety) एवं लोकआपात (Public Emergency) के दृष्टिगत व असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की अफवाह फैलाने से लोकशांति भंग होने और कानून व्यवस्था प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका के मध्यनज़र कानून व्यवस्था, लोकशांति बनाये रखने एवं लोक सुरक्षा हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। मेरा समाधान हो गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उपरोक्त क्षेत्र में इन्टरनेट (लीज लाईन एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं–लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को छोडते हुए) निलम्बित किया जाना लोकआपात एवं लोकसुरक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यक है।

अतः गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.35(4)गृह–9/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 23.11.2021 से दूरसंचार अस्थायी सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोकसुरक्षा) नियम–2017 के नियम 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक **17.08.2024 को सांय 10.00 बजे** से आगामी 24 घंटे तक **सम्पूर्ण उदयपुर शहर, बेदला, बडगांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली, भुवाणा** में इन्टरनेट सेवा (लीज लाईन एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं–लैंडलाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को छोडते हुए) को निलम्बित किया जाता है।

मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर को उपरोक्त आदेश की पुष्टि हेतु।
2. श्रीमान अति. मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान को उपरोक्त आदेश की पुष्टि हेतु।
3. शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.35(4)गृह–9/2017 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 22.10.2021 एवं दिनांक 23.11.2021 के अनुसरण में।
4. महानिरीक्षक, पुलिस, उदयपुर रेंज, उदयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को भेज लेख है कि उक्त आदेश जनसामान्य के लिये सार्वजनिक किये जाने बाबत आपके विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर संभाग।
8. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश सम्बन्धित समस्त पुलिस अधिकारियों तथा जिले के नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनीज़ को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावे।
9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला उदयपुर ....।
10. समस्त पुलिस उप अधीक्षक.................................... जिला उदयपुर।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका/नगरपरिषद, ...जिला उदयपुर ।
12. समस्त थानाधिकारी .... जिला उदयपुर।
13. नोडल अधिकारी, टेलीकॉम कम्पनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसेल, टाटाडोकोमो, रिलायन्स, जिओ, ...को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर)।
14. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील कार्यालय पर चस्पा हेतु।
15. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर